2021 उनवान पुष्पा देवी बनाम राधा देवी वगै.

05.03.2024

ायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

ठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 05.03.2024

सल संख्या :– 44/2023

उनवानी दावा:–

पुष्पा देवी पत्नि लेखराज जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीया–

बनाम

1. राधा देवी पत्नी सीताराम जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति:–
श्री रामदेव वर्मा
अधिवक्ता वादीया

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 23.03.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वदी ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ./22/2467 दिनांक 05.12.2022 का अवलोकन किया। देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 418 ख. नं. 2652 रकबा 1.00 है0, ख. नं. 2658 रकबा 1.07 है0. कुल किता–2 कुल रकबा 2.07 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

खाता संख्या 680 वाके ग्राम देवलीगावं में हिस्सा निम्नानुसार रहेगाः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान	किस्म
1.	पुष्पा देवी पत्नी लेखराज जाति गुर्जर सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	2652/1	0.50	4.00	बा–1
		2658/1	0.5350	4.28	बा–1

	योग	किता–2	1.0350	8.28	
.	राधा देवी पत्नी सीताराम जाति जाट सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में गहरे लाल रंग से दर्शित	2652 / 2	0.50	4.00	बा–1
		2658 / 2	0.5350	4.28	बा–1
	योग	किता–2	1.0350	8.28	

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया की उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक वादीया के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तद्नुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 05.03.2024 को सुनाया गया।

05/3/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली